विभाग का नामः– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

तारांकित प्रश्न संख्या :– 10

दिनॉक :– **19/03/2018**

प्रश्नकर्ता का नामः– **श्री विजेन्द्र गुप्ता**

क्या उप–मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि सरकार ने सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगले शिक्षा सत्र से अपनी शैक्षिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए है;	जी हॉ। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या 43/2006 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2008 व सिविल मिसलेनियस आवेदन संख्या 20634/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2015 तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (धारा 18 व 19) व दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम व नियम, 1973 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए व ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की बेहतर शैक्षणिक भविष्य व उनकी सुरक्षा व संरक्षा को ध्यान में रखते हुए गैर मान्यता प्राप्त चल रहे विद्यालयों को समय समय पर विभाग नें विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित जनसूचना/विभागीय परिपत्रों के द्वारा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है। ऐसी सूचनाएं 10.04.2008, 27.04.2008, 09.07.2008, 08.02.2011, 08.02.2013 तथा 26.03.2013 को प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया था। अंततः दिनांक 07.02.2018 को ऐसे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता लेने व मान्यता नहीं प्राप्त करने की स्थिति में शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से शैक्षणिक गतिविधियां बंद करने का आदेश जारी किया गया हैं।
(ख)	यदि हां, तो ऐसे आदेश जारी करने का आधार क्या है;	शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 01.04.2010 से प्रभावी हुआ है तथा इस अधिनियम की संबंधित धाराएं नीचे उल्लिखित हैः– **<u>धारा 18(1)</u>:–** समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या

		नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा। **धारा 18(5):–** कोई व्यक्ति, मान्यता प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दायी होगा। **धारा 19(2):–** जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता हैं, वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा।
(ग)	दिल्ली में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या और उनमें पढ़ रहे बच्चों की संख्या क्या है;	यद्यपि वर्तमान में ऐसी कोई पूर्ण अधिकृत विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की बेहतर शैक्षणिक भविष्य व उनकी सुरक्षा व संरक्षा को ध्यान में रख कर इस संदर्भ में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.02.2018 के तहत सभी जिला शिक्षा उप–निदेशकों को मार्च के तीसरे सप्ताह से सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया गया है। सर्वेक्षण के उपरांत गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की दिशा में यदि कोई नीतिगत फैसला लेने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जॉच की जाएगी और विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन देने के लिए

		दिशा निर्देश दिए जाएंगे या ऐसे विद्यालयों को बंद करने के लिए संबंधित नियमों के तहत बाधित किया जाएगा।
(घ)	गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों से मान्यता हेतु लंबित आवेदनों की संख्या क्या है;	52
(ड़)	सरकार द्वारा उन आवेदनों पर निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं; और	मान्यता की सभी शर्ते तथा दस्तावेज जब तक सम्बन्धित विद्यालय पूरी नहीं कर देता है तब तक उसको मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।
(च)	इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का हित सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय प्रस्तावित हैं?	ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की बेहतर शैक्षणिक भविष्य व उनकी सुरक्षा व संरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में दिनांक 07.02.2018 शिक्षा निदेशालय के आदेष द्वारा सभी जिला उप–निदेशकों (शिक्षा) को यह निर्देश दिये गए है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची तैयार करें ताकि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की दिशा में यदि कोई नीतिगत फैसला लेने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जॉच की जाएगी और विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन देने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे या ऐसे विद्यालयों को बंद करने के लिए संबंधित नियमों के तहत बाधित किया जाएगा। यह गौरतलब है कि ऐसे विद्यालयों के छात्रों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो इसे ध्यान में रखते हुए, सभी जिला उप–निदेशकों (शिक्षा) को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को नजदीक के विद्यालय में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से एक योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे कि उनको शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह का व्यवधान नहीं आये।

–:: पूरक सामग्री ::–

गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को चिन्हित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को संचालित करने वाली संस्थाओं/समूहों/संगठनों को विभागीय परिपत्र दिनांक 08.02.2011, 08.02.2013 तथा 26.03.2013 के द्वारा जन सूचना के माध्यम से विभाग की सरकारी वेबसाइट पर पंजीकृत करने के लिये सूचित किया गया था। इस प्रक्रिया के माध्यम से विभाग गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता देने के उद्देश्य से नीतिगत फैसला लेना चाहता था। इसके उपरांत लगभग 1271 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों ने विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण कराया। इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली की संस्तुति से मान्यता प्रदान करने के प्रावधानों को सुगम बनाया। सभी गैर मान्यता प्राप्त 1271 स्कूलों के पास भूमि की उपलब्धता का निरीक्षण किया गया। उसके बाद भूमि की आवश्यकता को प्रचलित नियमों को ध्यान में रखते हुये कम किया गया तथा प्राइमरी तथा आठवीं कक्षा तक मान्यता प्रदान करने के लिये क्रमशः 200 वर्ग गज तथा 700 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता को निर्धारित किया गया। तदानुसार, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को विभाग की वेबसाइट पर मान्यता देने के लिये आवेदन करने के लिये दिशा निर्देश 22.03.2012 को जारी किये गये।

सभी गैर मान्यता प्राप्त 1271 स्कूलों के पास भूमि की उपलब्धता का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि 243 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल 200 वर्ग गज से कम भूमि पर चल रहे थे। इसलिए ये स्कूल विभाग की वेबसाइट पर भूमि की उपलब्धता कम होने की वजह से मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन नहीं कर सके। इस प्रकार हो सकता है कि ये स्कूल अभी भी गैर मान्यता प्राप्त रूप में चल रहे हों।